न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री जगदीशसिंह आशिया ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 88 / 2025

प्रार्थीगण

1. मगाराम पुत्र वागाराम
2. चुनीदेवी पुत्री वागाराम
3. कंवराराम पुत्र गोमाराम
4. रावताराम पुत्र गोमाराम
5. लूम्बाराम पुत्र गोमाराम
6. अणसीदेवी पत्नि गोमाराम
7. जेठाराम पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी कुकलों की ढाणी मण्डावला तहसील सिणधरी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. नैनाराम पुत्र दानाराम
2. नारणाराम पुत्र दानाराम
3. पुरोंदेवी पत्नि दानाराम जाति जाट निवासी कादानाडी तहसील सिणधरी
4. तहसीलदार सिणधरी

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955</u>

उपस्थिति–

1.श्री जोगराज पोटलिया, वकील प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2.श्री चिमनसिंह चौधरी ,वकील विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित।

3.राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(तहसील कार्यालय सिणधरी) विप्रार्थी संख्या 04 की ओर से उपस्थित।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:28:54 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक– 25.06.2025

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी खसरा संख्या 330 रकबा 7.0949 हैक्टयर ग्राम कुकलों की ढाणी पटवार क्षेत्र

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

कादानाडी तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी संख्या 01 से 03 के खेत खसरा संख्या 590/238 रकबा 5.8976 हैक्टयर भूमि आया हुआ है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स. 1 से 03 की उक्त खसरे की भूमि में से होकर गुजरना पड़ता है। प्रार्थीगण को सड़क तक आने जाने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी ने ग्राम कुकलों की ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 590/238 भूमि में होकर रास्ते के रूप में आवागमन हेतु प्रस्तावित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 1 से 03 की ओर से अधिवक्ता श्री चिमनहसंह चौधरी की तरफ वकालतनामा पेश करते हुए मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। विप्रार्थी संख्या 04 की ओर से राज.पैरोंकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई थी।

वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए अपनी बहस में तर्क दिए थे,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 330 रकबा 7.0949 हैक्टयर ग्राम कुकलों की ढाणी पटवार क्षेत्र कादानाडी तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी संख्या 01 से 03 के खेत खसरा संख्या 590/238 रकबा 5.8976 हैक्टयर भूमि आया हुआ है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स. 1 से 03 की उक्त खसरे की भूमि में से होकर गुजरना पड़ता है। प्रार्थीगण को सड़क तक आवागमन हेतु बाधा उत्पन्न करते है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी ने ग्राम कुकलों की ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 590/238 भूमि में होकर रास्ते के रूप में आवागमन हेतु प्रस्तावित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किया जावे। आगे उल्लेख किया था,कि प्रस्तावित रास्ते की तहसीलदार सिणधरी द्वारा मौका जांच की गई और मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण को रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई है। अतः तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 16:28:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

अनुसार प्रार्थी के पक्ष में खसरा संख्या 590/238 में से रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थी द्वारा अपनी ओर से यह भी स्पष्ट किया कि आवेदन के सलंग्न प्रस्तुत प्रस्तावित भूमि के नजरी नक्शा एवं तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका जांच के सलंग्न प्रस्तावित नक्शे में भूमि का आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए नया मार्ग प्रशस्त किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

इसके विपरीत वकील विप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने भी प्रार्थीगण के आवेदन पत्र के तथ्यों को अस्वीकार एवं दस्तावेज मय फैहरिस्त पेश करते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र मिथ्या आधारों पर एवं तथ्यों को छुपाते हुऐ पेश किया है जो न्यायिक दृष्टिकोण से पोषित नहीं होने से खारिज लायक है। कि प्राथीगण के खेत खसरा संख्या 330 ग्राम कुकलों की ढाणी में आवागमन हेतु पूर्व में रास्ता उपलब्ध है जो कि विप्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी जोत खसरा संख्या 590/283 रकबा 5.8976 हैक्टयर भूमि में रकबा 0.0728 हैक्टयर भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित करवाई है तथा उक्त समर्पित भूमि को मात्र रास्ते के रूप में उपयोग लिये जाने हेतु शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। इस प्रकार सड़क मार्ग से प्रार्थी के खातेदारी जोत तक से आने–जाने के रास्ते से जुड़ा होने से यह आवेदन वेकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के आधार पर खारिज लायक है क्योंकि इस अधिनियम की धारा 251 (I) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है जब वेकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने पर प्रार्थीगण अन्य खेत से सुविधाजनक उपयोग हेतु रास्ते का आवेदन नहीं कर सकता है। इस प्रकार प्रार्थीगण को उक्त रास्ता की आत्यन्तिक आवश्यकता नहीं है क्योकि प्रार्थीगण का खेत पूर्व में ही (राजकीय समर्पित भूमि) रास्ते से जुड़ा हुआ है ऐसीस्थिति में आत्यन्तिक आवश्यकता के अभाव विधि मान्य नहीं होने से खारिज लायक है। अतः विप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब के आधार पर प्रार्थीगण के खेत से जुड़ता हुआ कटाण वेकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने, से प्रार्थीगण यह आवेदन मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

विप्रार्थी संख्या 04 की ओर से रा[illegible] नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) ने बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट एवं उभयपक्ष की दलील एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार के अनुसार आवेदन पत्र का निस्तारण किये जाने में समर्पित भूमि की किस्म गै.मु. रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:28:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

हमने दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया और पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से अपनी सहखातेदारी खेत मौजा कुकलों की बाणी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 330 से होकर मुख्य सड़क तक पंहुचने के लिए बीच ग्राम कादनाडी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 590/238 में से चल रहे रास्ते को कटाण रास्ते के रूप में स्वीकृत करने हेतु आवेदन पेश किया गया। जिसमें तहसीलदार सिणधरी से मौका स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय द्वारा तलब की गई। आवेदन के तथ्यों के सन्दर्भ में प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट एवं विप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के परस्पर अध्ययन एवं अवलोकन में पाया गया कि मौजा कादनाडी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 330 से सड़क मार्ग तक पहुचनें के लिए खसरा संख्या 590/238 में से अन्य कोई विकल्प रास्ता नहीं होने का उल्लेख करते हुए नया मार्ग चाहा गया है, जबकि विप्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी जोत के खसरा संख्या 590/238 में आवागमन की सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए कटाण मार्ग के रूप में समर्पित भूमि वैकल्पिक उपलब्ध है। जिसके सन्दर्भ में विप्रार्थीगण द्वारा समर्पित भूमि का उपयोग व उपभोग मात्र रास्ते के रूप में किये जाने में अपनी ओर से शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम कादनाडी के खेत खसरा संख्या 590/238 में समर्पित भूमि रकबा 0.0728 हैक्टयर भूमि कि किस्म गै.मु. रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदामद किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार सिणधरी माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करें।

(जगदीशसिंह आशिया.)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 25.06.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:28:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner